

बिहार सरकार  
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक :- 242247

दिनांक :- 14.08.15

सं0सं0-3/स्था0-1-52/15

प्रेषित,

श्री शैलेश कुमार केसरी,

अधिसूचित ग्रामीण विकास पदाधिकारी, परैया, गया,

पता- द्वारा सीताराम केशरी,

ग्राम एवं पो0- ईटाढी.

जिला-बक्सर, पिन-802123

**विषय :- अनधिकृत रूप से कर्तव्य से अनुपस्थित रहने के संबंध में स्पष्टीकरण ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय अधिसूचना सं0-230237 दिनांक 05.05.15 द्वारा आपका पदस्थापन ग्रामीण विकास पदाधिकारी सह प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, परैया, गया के पद पर किया गया था, परंतु आपके द्वारा अधिसूचित पद के विरुद्ध योगदान नहीं किया गया, बल्कि स्वास्थ्य कारणों का उल्लेख करते हुए दिनांक 01.01.15 से लगातार अवकाश में रहने संबंधी आवेदन संबंधित जिला पदाधिकारी/विभाग को समर्पित किया गया है ।

इस प्रकार, आपके द्वारा अधिसूचित पद पर योगदान नहीं किया जाना तथा सक्षम प्राधिकार से अवकाश की स्वीकृति के बिना कर्तव्य से अनुपस्थित रहना आपके स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता का घोटक है ।

अतः उपरोक्त के संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करें, कि क्यों नहीं आपके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जाय ।

विश्वसभाजन

(प्रदीप कुमार) 13/8/15

सचिव